फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.2.22	पत्रावली पेश। पैरोकार उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा बहस करनी चाही। बहस की अनुमति प्रदान की गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीया के हिस्से में जरिये उपहार पत्र आई है। प्रार्थीया के तमाम दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम राममूर्ति देवी पत्नी दलीप कुमार है लेकिन सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम राममूर्ति पत्नी दलीप कुमार दर्ज हो गया है, इसलिए विवादित भूमि तहसील रावला के चक 5 डीओएल का प.नं. 74/48 के मु.नं. 15 के किला नं. 6 ता 25 में कुल 4.760 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम राममूर्ति पत्नी दलीप कुमार के स्थान पर राममूर्ति देवी पत्नी दलीप कुमार दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें। राजपैरोकार ने निवेदन किया कि उक्त विवादित भूमि का उपहार पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थीया का नाम राममूर्ति पत्नी दलीप कुमार दर्ज हो गया है जबकि पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 24.06.2021 में प्रार्थीया का नाम राममूर्ति देवी पत्नी दलीप कुमार ही है। पैरोकार उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों में एवं उपहार पत्र दिनांक 24.06.2021 में प्रार्थीया का नाम राममूर्ति देवी पत्नी दलीप कुमार है लेकिन नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थीया का नाम राममूर्ति पत्नी दलीप कुमार दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि में प्रार्थीया का नाम राममूर्ति देवी पत्नी दलीप कुमार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि तहसील रावला के चक 5 डीओएल का प.नं. 74/48 के मु.नं. 15 के किला नं. 6 ता 25 में कुल 4.760 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम राममूर्ति पत्नी दलीप कुमार के स्थान पर राममूर्ति देवी पत्नी दलीप कुमार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं तहसीलदार राजस्व रावला को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी घडसाना	